

न्यायालय: सिविल जज (सी०डि०) आजमगढ़।

मूलवाद संख्या- 323/2022

शारदा यादव बनाम उर्मिला यादव आदि

दिनांक-01.08.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। बार-बार पुकार कराने पर भी उभयपक्ष और उनके विद्वान् अधिवक्तागण अनुपस्थित रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उभयपक्ष वाद संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः प्रस्तुत वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी०डि०)

आजमगढ़।